न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
113 / 2021	2021 / 270	17.09.2021	31.08.2022

उनवान प्रकरण

श्योजीराम पुत्र मुरलीराम जाति जाट आयु 73 वर्ष, निवासी ढाणी महरामवाली वार्ड न. 9 श्रीमाधोपुर, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

—वादी

बनाम्

1. देवीसहाय आयु 72 वर्ष
2. अमीचन्द आयु 66 वर्ष
3 लक्षमण आयु 60 वर्ष

पुत्रगण राजा देवी पत्नी अर्जनराम

4 बोगी आयु 70 वर्ष

5. मन्नी आयु 68 वर्ष

6. सन्ती आयु 64 साल

पुत्रियां राजा देवी पत्नी अर्जुनराम, जाति जाट हाल निवासी ढ़ाणी जीताजी वाला तन ग्राम पापड़ा तहासील उदयपुरवाटी जिला झुन्झूनु (राज0)

7. रामचन्द्र आयु 71 साल
8. रामेश्वर आयु 65 साल

पुत्रगण अणची पत्नी ईश्वर सिंह

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:26:23 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

9. प्रभाती आयु 68 साल

10. शांति आयु 66 साल

पुत्रीयां अणची पत्नी ईश्वर सिंह

11. मीरा देवी पत्नी स्व बोदुराम उम्र आयु 55 साल

12. गोपाल आयु 40 साल

13. मुकेश आयु 33 साल

पुत्रगण स्व. बोदुराम

14. मंजु देवी आयु 37 साल

15. अनीता देवी आयु 34 साल

पुत्रिया स्व. बोदुराम जाति जाट हाल निवासी ग्राम शिश्यू रानोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज0)

16. जगदीश आयु 65 साल

17. जयमल आयु 58 साल

पुत्रगण जानकी देवी पत्नी परसाराम

18. गीतादेवी आयु 65 साल

19. धर्मा देवी आयु 60 साल

20. संज्या देवी आयु 55 साल

पुत्रियां जानकी देवी पत्नी परसाराम

21. कमला देवी पत्नी स्व महेश उम्र आयु 61 [illegible]

22. विक्रम सिंह आयु 30 साल

23. रणवीर सिंह आयु 28 साल

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:26:23 IST
Reason: SelfAttested

21/08/22

पुत्रगण स्व. महेश

24. सरिता देवी पुत्री स्व. महेश उम्र आयु 25 साल जाति जाट निवासी ढाणी बाढ़ावाली तन मणकसास तहासील उदयपुरवाटी जिला झुन्झूनु (राज0)

25. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0

———प्रतिवादीगण

उपस्थितः—

श्री भँवर सिंह चौधरी, एड0 वादी अभिभाषक।

श्री दिलीप मंगावा, एड0 प्रतिवादी संख्या 6 ता 15 अभिभाषक।

श्री धर्मेन्द्र कुमार गूर्जर, एड0 प्रतिवादी संख्या 1 ता 5, 20 से 23 अभिभाषक।

श्री प्रकाश मूण्ड, एड0 प्रतिवादी संख्या 16 से 19, 24 अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 25 की ओर से

<u>वादपत्र बाबत ईस्तकरार हक एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 188</u>
<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2424, 2442/2697 कुल किता –2 कुल रक्बा 1.2200 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम श्रीमाधोपुर पटवार हल्का श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित है। जिसमें 1/4 हिस्सा की खातेदारी मृतका दड़की पत्नी मुरलीराम के नाम एंव 1/4 हिस्सा की खातेदारी मृतक नरसीराम पुत्र मुरली के नाम एंव 1/4 हिस्सा की खातेदारी मृतक बोदुराम पुत्र मुरली के नाम एंव 1/4 हिस्सा की खातेदारी वादी श्योजीराम पुत्र मुरली के नाम दर्ज है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 2420/2692 रक्बा 0.5400 हैक्टर अवस्थित तन ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित है। जिसमें 1/2 हिस्सा की खातेदारी वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:26:23 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

एवं 1/2 हिस्सा की खातेदारी मृतक नरसाराम पुत्र मुरलीधर के नाम दर्ज है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 2422/2689 रकबा 0.9900 है0 अवस्थित तन ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में 1/6 हिस्सा की खातेदारी वादी एंव 1/6 हिस्सा की खातेदारी मृतक नरसीराम पुत्र मुरलीधर के नाम दर्ज है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 714/1, 715, 717/1, 718/1, 719/1, 720/1, 721/1, 722, 724, 2249 कुल किता–10 कुल रक्बा 3.1400 हैक्टर अवस्थित तन ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) जिसक 1/3 हिस्सा की खातेदारी मृतक मु. दड़की बैवा मुरली, नरसीराम, बोदुराम पुत्रगण मुरली एवं वादी के नाम दर्ज है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1563 रक्बा 1.3500 हैक्टर अवस्थित तन ग्राम डेरावाली पटवार हल्का मउ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) जिसके 1/2 हिस्सा की खातेदारी मृतक नरसा पुत्र मुरली एंव 1/2 हिस्सा मृतक मुरली पुत्र पूरा के नाम दर्ज है। सजरा खानदान के अनुसार वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 एक ही परिवार खानदान से है एंव उक्त वर्णित कृषि भूमियां पक्षकारान की पैत्रिक कृषि भूमियां है। उक्त वर्णित कृषि भूमियों में से कृषि भूमि खसरा नम्बर 2424, 2442/2697 कुल किता –2 कुल रक्बा 1.2200 हैक्टर तन् ग्राम श्रीमाधोपुर में मृतका दडकी पत्नी मुरलीराम एंव मृतक नरसीराम पुत्र मुरली एंव मृतक बोदुराम पुत्र मुरली के नाम दर्ज हक हिस्सा की भूमि पर वादी काबिज काश्त चला आ रहा है एंव खसरा नम्बर 2420/2692 रक्बा 0.5400 हैक्टर में मृतक नरसाराम पुत्र मुरलीधर के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा की भूमि पर वादी पर काबिज काश्त चला आ रहा है एंव खसरा नम्बर 2422/2689 रक्बा 0.9900 हैक्टर में मृतक नरसीराम पुत्र मुरलीधर के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा की भूमि पर वादी काबिज काश्त चला आ रहा है एंव खसरा नम्बर 714/1, 715, 717/1, 718/1, 719/1, 720/1, 721/1, 722, 724, 2249 कुल किता –10 कुल रक्बा 3.1400 हैक्टर में मृतक मु. दड़की बैवा मुरली, नरसीराम, बोदुराम पुत्रगण मुरली के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा की भूमि पर वादी के नाम दर्ज रिकार्ड है एंव तन ग्राम डेरावाली पटवार हल्का मउ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1563 रक्बा 1.3500 हैक्टर जिसकी खातेदारी मृतक न[illegible] मुरली एंव मृतक मुरली पुत्र पूरा के नाम दर्ज है। उस पर वादी काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमियों पर प्रतिवादी संख्या–1 ता 24 का कोई कब्जा काश्त नहीं है बल्कि उक्त भूमियों पर वादी ही काबिज

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:26:23 IST
Reason: SelfAttested

31/08/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

काश्त चला आ रहा है। इसलिए उक्त भूमियों की खातेदारी वादी अपने नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण को वादी की भूमियों के कब्जा काश्त में मजाहमत करने का कोई अधिकार किसी किस्म का नहीं है। इसलिए वादी प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद कराने का अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादीगण को उक्तानुसार भूमि की खातेदारी दर्ज करवाने हेतु कहा तो पहले तो आश्वासन देते रहे है परन्तु अब प्रतिवादीगण के मन में बदनियति आ गई है। इसलिए दिनांक 30.08.2021 को इन्कार हो गये एंव वादी के कब्जा काश्त में मजाहमत करने एंव वादी को भूमि से बेदखल करने को धमकी दी है। इसलिए अदालत में बिनाय ए दावा पैदा होकर दावा पेश करना आवश्यक है। इसलिए दावा पेश कर बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 25 की सम्मन तामील साधारण तरीके से करवाई गई। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादीगण संख्या 25 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण संख्या 13 की ओर से श्री दिलीप कुमार मंगावा एड0 ने इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 12, 14 लगायत 24 की ओर से उपस्थित होकर वादी के वादपत्र को स्वीकार करते हुए वादी के पक्ष में राजीनामा पेश कर राजीनामा तस्दीक कराया गया है। प्रकरण में साक्ष्य वादी में वादी श्योजीराम का मुख्य परीक्षण में लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 13 के के द्वारा इकबालिया जवाब दावा व अन्य समस्त प्रतिवादीगण के द्वारा राजीनामा पेश का दिये जाने से वकील वादी ने वादपत्र को [illegible] किये जाने का निवेदन करते हुए प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:26:23 IST
Reason: SelfAttested

हमने वादी अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादी अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली

21/08/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

पर उपलब्ध साक्ष्यों, इकबालिया जवाब दावा, प्रतिवादीगणों के द्वारा वादी के पक्ष में पेश किये राजीनामों, साक्ष्य वादी में वादी द्वारा पेश शपथ पत्र, मृत्तक बोदूराम, सुन्दरी देवी, मुरलीधर, नरसीराम, लादुडी देवी के मृत्यु प्रमाण पत्रों इत्यादि दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2070–2073, 2074–2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण के नाम एंव वादी व प्रतिवादीगण के मृत्तक पिता/दादा मुरली पुत्र पूरा के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रकट होता है तथा उक्त खातेदारान् में से खातेदारान् बोदूराम, सुन्दरी देवी, मुरलीधर, नरसीराम, लादुडी देवी का फौत होना प्रकट होता है। उक्त वादग्रस्त भूमियॉ वादी एंव प्रतिवादीगण की पैत्रक कृषि भूमियॉ होना प्रमाणित होता है। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के समर्थन में प्रतिवादीगण संख्या 13 ने इकबालिया जवाब दावा पेश कर वादी के वादपत्र को स्वीकार किया है एंव वादपत्र में अंकित कथनों की ताईद साक्ष्य वादी में वादी द्वारा पेश लिखितशुदा शपथ पत्र से भी होती है। प्रतिवादीगण संख्या 13 के द्वारा वादी के पक्ष में पेश किये गये इकबालिया जवाब दावा व अन्य समस्त प्रतिवादीगणों के द्वारा वादी के पक्ष में पेश किये गये राजीनामों के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत ईस्तकरार हक एंव स्थायी निषेधाज्ञा न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत् ईस्तकरार हक एंव स्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा तन् ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 2424, 24[illegible] 26[illegible] कुल किता –2 कुल रक्बा 1.2200 हैक्टर की खातेदारी से मृतका [illegible] पत्नी [illegible]राम एंव मृतक नरसीराम पुत्र मुरली एंव मृतक बोदुराम पुत्र मुरली का नाम हजफ [illegible]या जाता है तथा इनके स्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:26:23 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एंव खसरा नम्बर 2420/2692 रकबा 0.5400 हैक्टर में 1/2 हिस्सा की खातेदारी से मृत्तक नरसाराम पुत्र मुरलीधर का नाम हजफ किया जाता है तथा उसके स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खसरा नम्बर 2422/2689 रकबा 0.9900 हैक्टर में 1/6 हिस्सा की खातेदारी से मृत्तक नरसीराम पुत्र मुरलीधर का नाम हजफ किया जाता है तथा उक्त भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खसरा नम्बर 714/1, 715, 717/1, 718/1, 719/1, 720/1, 721/1, 722, 724, 2249 कुल किता –10 कुल रक्बा 3.1400 हैक्टर 1/3 हिस्सा की खातेदारी से मृतक मु0 दड़की बैवा मुरली एंव मृत्तक नरसीराम, बोदुराम पुत्रगण मुरली का नाम हजफ किया जाता है तथा इनके स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार ग्राम डेरावाली पटवार हल्का भउ तहसील श्रीमाधोपुर में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1563 रकबा 1.3500 हैक्टर की खातेदारी से मृतक नरसा पुत्र मुरली एंव मृत्तक मुरली पुत्र पूरा का नाम हजफ किया जाता है तथा इनके स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है तथा उक्तानुसार दुरूस्ती किये जाने हेतु भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

31/08/22

(दिलीप सिंह)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:26:25 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 31.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/08/22

दिलीप सिंह

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर